



ज्ञान-विद्यान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव

Prof. Rajnish Jain
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अ0शा0 पत्र संख्या एफ.1-7/2011 (एससीटी)

दिनांक: 26 जून, 2019

विषय: उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निराकरण

आदरणीय महोदया/महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नवत कार्यवाही करने के उद्देश्य से दिनांक 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016, 15.05.2017 तथा 04.06.2018 के पत्र जारी किए हैं:

- अधिकारी/संकाय सदस्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विरुद्ध उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के आधारपर किसी भेदभाव पूर्ण कृत्य से बचना चाहिए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित कर सकते हैं साथ ही वे कुल सचिव/प्राचार्य के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ एक शिकायत रजिस्टर भी रख सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना प्राधिकरणों के ध्यान में आती है तो चूककर्ता अधिकारी/संकाय सदस्य के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी अधिकारी/संकाय सदस्य किसी भी समुदाय अथवा श्रेणी के छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों/शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक समिति का गठन कर सकते हैं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अधिकारी/संकाय सदस्य को जातिगत भेदभाव की घटनाओं के मामलों पर कार्यवाही करते हुए अधिक संवेदनशील रहने का परामर्श दें और कृत कार्यवाही रिपोर्ट को विहित प्रारूप (प्रति संलग्न है) 30 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजें साथ ही sctsection@gmail.com पर ई-मेल भी करें।

उपयुक्त अनुदेशों को आपके विश्वविद्यालय के सभी संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों को भी अनुवर्ती कार्यवाही के लिए परिचालित किया जाए।

सादर

संलग्न: यथोपरि

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति

भवदीय,
रजनीश
(रजनीश जैन)

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव के निराकरण के लिए कृत कार्यवाही रिपोर्ट

विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम:

क्रम संख्या	भद्र	कृत कार्यवाही		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों / शिक्षकों तथा शिक्षणतर कर्मचारिवृंदों से प्राप्त भेदभाव संबंधी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए किसी समिति का गठन किया है?			
2.	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायतें दर्ज करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पेज विकसित किया है? कृपया यूआरएल तथा तत्संबंधी ब्योरा दें।			
3.	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान एक शिकायत रजिस्टर का रखरखाव कर रहे हैं? और प्राप्त जातिगत आधारित भेदभाव की शिकायतों पर किस प्रकार कार्यवाही की गई? (i) पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (ii) कुल प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतें सुलझाई गईं / निपटाई गईं? (iii) क्या शिकायत में किसी आत्महत्या जैसी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त हुई (संख्या) (iv) घटना के प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर अधिकारी / संकाय के विरुद्ध की गई कार्यवाही			
4.	क्या विश्वविद्यालय / संस्थान में संघटक तथा संबद्ध महाविद्यालयों से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के विरुद्ध भेदभाव की शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए कोई प्रकोष्ठ है? (i) महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान करने की पद्धति (ii) प्राप्त हुई कुल शिकायतों तथा सुलझाए गए मामलों की संख्या (iii) जातिगत भेदभाव के विरुद्ध महाविद्यालयों को जारी किए गए अनुदेशों का स्वरूप			